(a) whether Madhya Pradesh Government has intensified its activities in implementing the Nehru Rozgar Yojana scheme in the state from 1990 onward;

(b) if so, the total allocations made therefor; and

(c) the amount utilised by the State Government so far ?

THE MINISTER OF URBAN DEVE LOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN): (a) Yes, Sir.

(b) The total allocations in 1989-90 and 1990-91 made by the Central Government for NRY Schemes in Madhya Pradesh is Rs. 22.26 crores. The State Government has made a budgetary provision of Rs. 4.92 crores towards the state share for this scheme.

(c) The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House.

बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों से क्षतिग्रस्त फसलों की खरीद

3686. **श्री प्रभाकर राव कलवला** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान अब तक मध्य प्रदेश, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश में कितनी फसल क्षतिग्रस्त हुई है और प्रत्येक राज्य के संबंध में उसका जिले वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इन बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के किसानों की क्षतिग्रस्त फसलों को अच्छे दामों पर खरीदने का विचार रखती है;

(ग) क्या सरकार इन किसानों को कुछ वित्तीय सहायता देने का विचार भी रखती है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) का उत्तर "ना" हो तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितिश कुमार) : (क) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में 1989 और 1990 के दौरान, राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बाढ़ों के कारण हुई क्षति के सस्यगत क्षेत्र की मात्रा निम्न प्रकार है :—

(लाख हैक्टेयर में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	प्रभावित 1989	संस्यगत क्षेत्र 1990
1.	आन्ध्र प्रदेश . . .	7.44	अभी सूचना नहीं मिली है**
2.	गुजरात . . .	0.23	6.75
3.	मध्य प्रदेश . . .	शून्य	0.036

**तथापि मई, 1990 में समुद्री तूफान और उसके फलस्वरूप आयी बाढ़ों के कारण केवल आन्ध्र प्रदेश में 4.06 लाख हैक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ था ।

(ख) इस वर्ष के दौरान केवल आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से समुद्री तूफान और उसके फलस्वरूप आयी बाढ़ों से प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा

खराब/डिस्कलर्ड (रंगहीन) धान और चावल की अधिप्राप्ति के लिए एक समान विशिष्टता वाले धान और चावलों में छूट का अनुरोध किया था । तद्नुसार विशिष्टताओं में छूट दे दी गई थी और समुद्री तूफान से प्रभावित जिलों में 64,854 मी. टन धान और 1,46,600 मी. टन चावल खरीदा गया है। क्षतिग्रस्त हुई फसलों को खरीदने के लिए अन्य दो राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान केवल आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहायता की मांग का ज्ञापन प्रस्तुत किया । आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार का अनुरोध प्राप्त होने पर 1989-90 के दौरान बाढ़ सहायता के लिए 52.11 करोड़ रुपए के व्यय की सीमा अनुमोदित की गई थी । इसमें कृषि आदान के लिए 1.68 करोड़ रुपए की राज सहायता अपरदित क्षेत्र से सिल्ट हटाने के लिए 0.22 करोड़ रुपए तथा बालू हटाने के लिए 0.53 करोड़ रुपए की धनराशि शामिल है । वर्ष 1989-90 के दौरान मध्य प्रदेश तथा गुजरात की राज्य सरकारों ने उनके पास उपलब्ध सीमान्त धन से परे किसी केन्द्रीय सहायता की मांग नहीं की ।

वर्ष 1990-91 के दौरान नौवें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप सहायता व्यय के वित्तपोषण की योजना को 1 अप्रैल, 1990 से संशोधित कर दिया गया । इन संशोधित योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक आबंटित धनराशि से आपदा-राहत कोष स्थापित किए गए, जिसमें से 75% का योगदान केन्द्रीय सरकार द्वारा चार तिमाही किस्तों में गैर-योजना अनुदान के रूप में तथा शेष 25% राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा । इसके बाद आपदा-राहत कोष एक समिति के नियंत्रण के अधीन कार्य करेगी जिसकी अध्यक्षता राज्य का मुख्य सचिव करेगा जोकि सहायता के मान-दण्डों सहित राहत व्यय से संबंधित सभी मामलों को निपटाएगी । आपदा-राहत कोष की स्थापना के बाद से अब यह राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि वे प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न होने वाले समस्त व्यय को तब तक वहन करें जब तक कि कोई आपदा असामान्य रूप से प्रचण्ड न हो जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर संभाल करने की आवश्यकता है । वर्ष 1990-91 के लिए आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों को क्रमशः 86.00 करोड़ रुपये, 85.00 करोड़ रुपये और 37.00 करोड़ रुपए की धनराशि, आबंटित की गई है । मई 1990 के चक्रवात से हुई क्षति को ध्यान में रखते हुए आन्ध्र प्रदेश राज्य को 64.50 करोड़ रुपए की धनराशि का समूचा केन्द्रीय अंश निर्मुक्त किया गया है । गुजरात और मध्य प्रदेश के मामले में केन्द्रीय राहत निधि का केन्द्रीय अंश निर्मुक्त किया गया है ताकि ये राज्य सरकारें बाढ़ से प्रभावित लोगों को आवश्यक राहत उपलब्ध करा सकें ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

विभिन्न राज्यों में चक्रवात से प्रभावित धान की खरीद

3687. **श्री प्रभाकर राव कलवला** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों से धान की खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम को कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कितनी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई तथा इसका क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ;